पेटेंट कार्यालय, मुंबई

राजभाषा नीति के अनुपालन संबंधी वार्षिक कार्यक्रम

(वित्तीय वर्ष 2026-27)

क्र. सं.	विषय	कार्यक्रम का ब्योरा
1.	**हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट** अप्रैल - जून, 2026 जुलाई - सितंबर, 2026 अक्टूबर - दिसंबर, 2026 जनवरी - मार्च, 2027	प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के बाद आईटी कार्यालय से मूल पत्राचार के आंकड़े प्राप्त होते हैं। जिसके बाद तिमाही प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है। इसी प्रकार तिमाही प्रगति रिपोर्ट महानियंत्रक कार्यालय को भेजने और राजभाषा विभाग के साइट पर अपलोड करने का कार्यक्रम है।
2.	**राजभाषा कार्यान्वयन समिति** अप्रैल - जून, 2026 जुलाई - सितंबर, 2026 अक्टूबर - दिसंबर, 2026 जनवरी - मार्च, 2027	जनवरी – मार्च, 2026 की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक 18 फरवरी, 2026 में आयोजित की गयी थी। तदनुसार आगामी 4 तिमाहियों की बैठक समान अंतराल पर आयोजित करने का कार्यक्रम है।
3.	**हिंदी कार्यशाला** अप्रैल - जून, 2026 जुलाई - सितंबर, 2026 अक्टूबर - दिसंबर, 2026 जनवरी - मार्च, 2027	प्रत्येक तिमाही के दौरान हिंदी कार्याशाला का आयोजन किया जाएगा। कार्यालय के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को वर्ष के दौरान कम से कम एक कार्यशाला में नामित किया जायेगा। **वर्ष की एक कार्यशाला को हिंदी व्याख्यानमाला के रूप में आयोजित करने का कार्यक्रम है।**
4.	**भाषा प्रशिक्षण**	कार्यलय द्वारा सभी अधिकारियों व कर्मचारियों का भाषा प्रशिक्षण रोस्टर तैयार किया गया है। वर्तमान में हिंदी शिक्षण योजना द्वारा भाषा प्रशिक्षण (पारंगत) सत्र कार्यालय परिसर में ही चलाया जा रहा है। चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी रखने की योजना है।
5.	**नराकास**	प्रत्येक छमाही में नराकास की बैठकें आयोजित की जाती हैं जिसके लिए कार्यालय की छमाही प्रगति रिपोर्ट भेजी जाती है एवं बैठक में कार्यालय प्रमुख एवं राजभाषा अधिकारी शामिल होते हैं।

6.	**सम्मेलन**	राजभाषा विभाग एवं वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से प्राप्त निदेशों के अनुसार वर्ष के दौरान आयोजित राजभाषा सम्मेलनों में कार्यालय की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है।
7.	**हिंदी पखवाड़ा**	महानियंत्रक कार्यालय द्वारा प्राप्त अनुमोदन के अनुसार सितंबर माह में हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया जाता है।
8.	**विविध**	भारत सरकार गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और महानियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी आदेशों का समय-समय पर अनुपालन सुनिश्चित करने की कार्यवाही जारी रखने की योजना है।